




संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर-छ0ग0



Joint Director of Town & Country Planning, Reg. office Raipur-C.G.

आर.डी.ए.बिल्डिंग, शारदा चौक,
रायपुर - 492 001
दूरभाष - 0771-2223728,
फैक्स - 0771-2223728,
Email : cg_townplan-raipur@hotmail.com
Email : cgtownplan.raipur@gmail.com

R.D.A. Building, Sharda Chowk,
Raipur - 492 001
Tel. : 0771 - 2223728
Fax: 0771 - 2223728
Email : cg_townplan-raipur@hotmail.com
Email : cgtownplan.raipur@gmail.com



4156 / नम्रानि / पीएल - 06/12/2012

रायपुर, दिनांक, 14/6/12

सिधानिया बिल्डकांन प्रायवेट लिमिटेड,
द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिधानिया,
आमानाका जी.ई. रोड,
कार्पो. आ.-3 एवं 4 तल श्याम चेम्बर
हिरापुर रोड, रायपुर-छ0ग0

विषय:-
संदर्भ :-

विकास अनुज्ञा बाबत।
आपका आवेदन पत्र दिनांक 07/04/2012.

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि ग्राम औरैटी, प.ह.नं. 16, रा.नि.मं.व तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार स्थित खसरा क्रमांक 53, रकबा 0.833 हे. ख.क्र. 54, रकबा 0.494 हे. ख.क्र. 48/2, रकबा 1.116 हे. ख.क्र. 49/4, रकबा 0.135 हे. ख.क्र. 48/1, रकबा 1.122 हे. ख.क्र. 49/2, रकबा 0.129 हे. ख.क्र. 49/3, रकबा 0.129 हे. ख.क्र. 49/1, रकबा 0.571 हे. ख.क्र. 50 रकबा 0.882 हे. ख.क्र. 55 रकबा 0.413 हे. ख.क्र. 57/3 रकबा 0.105 हे. ख.क्र. 58/3, रकबा 0.558 हे. ख.क्र. 62/4, रकबा 0.753 हे. ख.क्र. 51/1, रकबा 0.648 हे. ख.क्र. 51/2, रकबा 0.324 हे. ख.क्र. 52, रकबा 0.320 हे. ख.क्र. 39/1, रकबा 0.219 हे. ख.क्र. 39/2 रकबा 0.547 हे. ख.क्र. 39/3, रकबा 0.162 हे. ख.क्र. 40, रकबा 0.372 हे. ख.क्र. 41, रकबा 0.247 हे. ख.क्र. 42, रकबा 0.777 हे. ख.क्र. 46, रकबा 0.210 हे. ख.क्र. 47, रकबा 0.405 हे. ख.क्र. 30, रकबा 1.084 हे. ख.क्र. 31 रकबा 0.571 हे. ख.क्र. 32/3 रकबा 0.235 हे. ख.क्र. 32/4 रकबा 0.235 हे. ख.क्र. 32/1, रकबा 0.231 हे. ख.क्र. 32/2 रकबा 0.235 हे. ख.क्र. 34/1 रकबा 0.112 हे. ख.क्र. 34/2 रकबा 0.235 हे. ख.क्र. 34/3 रकबा 0.219 हे. ख.क्र. 34/4 रकबा 0.219 हे. ख.क्र. 34/5 रकबा 0.295 हे. ख.क्र. 34/6 रकबा 0.324 हे. ख.क्र. 36/1 रकबा 0.048 हे. ख.क्र. 36/2 रकबा 0.049 हे. ख.क्र. 37/1 रकबा 0.338 हे. ख.क्र. 37/2 रकबा 0.339 हे. ख.क्र. 38 रकबा 0.227 हे. ख.क्र. 44/1 रकबा 0.285 हे. ख.क्र. 44/2 रकबा 0.454 हे. ख.क्र. 44/3 रकबा 0.284 हे. ख.क्र. 45 रकबा 0.522 हे. ख.क्र. 43 रकबा 1.449 हे. कुल रकबा 19.461 हेक्टर ई. डब्लू. एस. ख.क्र. 144/1 रकबा 0.336 हे. ख.क्र. 144/2 रकबा 0.336 हे. ख.क्र. 145 रकबा 0.638 हे. ख.क्र. 147/9 रकबा 0.186 हे. ख.क्र. 147/4 रकबा 0.241 हे. कुल रकबा 1.737 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल रकबा 21.198 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु विकास को कार्यान्वित करने हेतु अनुज्ञा छ0ग0 भूमि विकास नियम-1984 के नियम 27 के तहत निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है :-

01. अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक फर्म के संचालकों के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सारभूत तथ्य के संबंध में कोई असत्य पाये जाने पर यह अनुज्ञा प्रतिसंहत की जा सकेगी।
02. भूमि का व्यपवर्तन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक है।
03. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास, निर्माण न किया जावे।

क्रमशः -2-

04. समस्त आंतरिक विकास कार्य जैसे मार्गों का विकास, खुले स्थानों का विकास जल प्रदाय, जल मल निकास, विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि आवेदक को करना आवश्यक होगा।
05. भविष्य में स्थानीय निकाय द्वारा सिवरेज लाइन का प्रावधान किये जाने की स्थिति में सीवर लाईन बिछाने के लिये आवश्यक भूमि आरक्षित रखना होगी तथा इस कार्य पर आने वाले व्यय भी वहन करना होगा। वर्तमान में नाले तक पानी निकासी की व्यवस्था करना होगा।
06. अभिन्यास में दर्शाए अनुसार समस्त विकास कार्य जैसे मार्गों का विकास, खुले स्थानों का विकास, गंदे जल की निकासी हेतु S-T-P- का प्रावधान, जल प्रदाय, जल मल निकास, विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि आवेदक को करना आवश्यक होगा।
07. स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।
08. छ0ग0भूमि विकास नियम-1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर में एक वृक्ष की दर से वृक्षारोपण कराना होगा।
09. छ0ग0भूमि विकास नियम-1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना होगा।
10. छ0ग0भूमि विकास नियम-1984 के नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस अनुज्ञा को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि अनुज्ञा दिनांक से अधिकतम पांच वर्षों तक हो सकेंगी।
11. भूखंड सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 67.06 मीटर रखते हुये मार्ग के मध्य से 33.53 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना होगा।
12. भवन निर्माण की अनुमति इस कार्यालय से प्राप्त करना आवश्यक है।
13. इस अनुमति का यह आशय नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय या अर्ध-शासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है। अर्थात् यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता, इस अनुज्ञा से प्रभावित नहीं होगी।
14. अभिन्यास में दर्शित ई.डब्लू.एस की भूमि पर कुल विकसित क्षेत्र के 15% के बराबर विकसित भूखंड छ0ग0ग्राम पंचायत कालोनाइजर कर रजिस्ट्रीकरण तथा शर्त नियम 1999 के तहत अनुविभागीय अधिकारी भाटापारा को सौपना होगा।
15. छ0ग0भूमि विकास नियम 1984 के नियम 79-क के प्रावधानों के तहत सड़क एवं खुले क्षेत्र हेतु की जाने वाली कुल प्रकाश व्यवस्था का 25% सौर पथ प्रकाश संयंत्र (Solar Light Plant) के द्वारा करना आवश्यक होगा।
16. छ0ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्त) नियम 1999 के नियम 12 के तहत कालोनी विकास की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
17. निजी भूमि स्वामित्व के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जावे।
18. अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा विवाद की स्थिति में यह अनुज्ञा छ0ग0भूमि विकास नियम-1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत की जा सकेगी।
19. नाला के किनारे मानचित्र में छोड़े गये 15 मीटर खुली भूमि का वृक्षारोपण हेतु छोड़ना आवश्यक होगा।

संलग्न :- अभिन्यास की एक प्रति।

प्र0संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्या. रायपुर-छ0ग0
रायपुर, दिनांक,

पृ0कमांक/
प्रतिलिपि :-

/नग्रानि/पीएल-06/12/2012

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) भाटापारा, जिला बलौदाबाजार को सूचनार्थ।
- 2- आयुक्त आयकर विभाग, रायपुर को सूचनार्थ।
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत, ग्राम औरैठी, प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. व, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्र0संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्या. रायपुर-छ0ग0

